पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव करवाने की मांग

जयपुर । कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द डोटासरा ने आरोप लगाया है कि, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, कार्यकाल पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात भी राज्य सरकार नहीं करवा रही है। इससे राजस्थान की जनता खासकर ग्रामीण क्षेत्र के हक और हितों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ना कराना न सिर्फ संवैधानिक चूक है, बल्कि प्रदेश के गांवों के विकास पर सीधा हमला भी है। डोटासरा ने राज्य सरकार से मांग की है कि मार्च, 2026 से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न करवायें जायें अन्यथा समय पर चुनाव नहीं होने से केन्द्र सरकार से प्रदेश के विकास के लिए मिलने वाला 3000 करोड़ रूपये का विकास फण्ड मार्च, 2026 में लैप्स हो जाएगा। इससे ग्रामीण विकास कार्य ठप्प हो जाएंगे। कांग्रेस बार-बार समय पर चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार से मांग कर रही है।

'स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी रखें निकाय'

जयपुर । स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के निदेशक जुइकर प्रतीक चंद्रशेखर ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण, 2025-26 में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी निकाय अभी से स्पष्ट -व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार करें तथा जमीनी स्तर पर कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करें। वे एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मजबूत डिजिटल व डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में काम कर रही भजनलाल सरकार

प्रदेश में 4 से 6 जनवरी तक आयोजित होगा राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस सहित नए उभरते हुए क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर हो रहा है। राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों में एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक चेन, क्लाउड कम्प्यूटिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, एक्सटेंडेड रिएलिटी जैसे क्षेत्रों के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से 4 नई नीतियां लेकर आई है। राजस्थान में मजबूत डिजिटल एवं डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब सरकार 4 से 6 जनवरी तक राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 का आयोजन करने जा रही है।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान देते हुए प्रदेश को आईटी-आईटीईएस हब बनाने के लिए लाई गई राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025, राजस्थान ।टळब्.ग्त् नीति-2024, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

2025 और राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी-2026 से प्रदेश में स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था को और तेज गति मिलेगी।

जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर 800 रैक वाला स्टेट ऑफ आर्ट टियर-4 डेटा सेंटर है। यह सरकारी स्वामित्व वाला देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। डेटा की बढ़ती उपयोगिता और डेटा स्टोरेज पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए

- **प्रदेश में कुशल रोजगार के अवसर होंगे सृजित, अर्थव्यवस्था होगी सशक्त : मुख्यमंत्री**

अब राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 का लक्ष्य प्रदेश में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र बनाना है। यह नीति डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी। साथ ही, राज्य में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने से संबंधित दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने में भी मदद करेगी।

इस नीति के तहत डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 10 वर्षों तक 10-20 करोड़ रुपये वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव शामिल हैं। साथ ही, 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट, तथा 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से छूट के भी प्रावधान किए गए हैं।

दिल्ली से नजदीक होने के कारण आईटी-आईटीइएस क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जयपुर एक आदर्श स्थान साबित हो सकता है। जीसीसी स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 लेकर आई है। यह नीति वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.50 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है।

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्स्टेंडेड रिएलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं एवं संसाधनों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार राजस्थान ए वी जी सी एक्स आर नीति-2024 लेकर आई है। इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने वाले स्टार्ट अप्स व उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित किए जाएंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, वीएफएक्स लैब एवं एडवांस्ड कम्प्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। इससे युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में करीब 35 हजार कन्याएं हुई लाभांवित

जयपुर (कासं)। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' प्रदेश की हजारों बालिकाओं के जीवन में खुशियों का उजाला भर रही है और इसके तहत लगभग 35 हजार कन्याएं लाभांवित हुई हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि 'डिजिटल सुशासन' के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था की मिसाल भी पेश कर रही है और विभाग वर्ष 2023-24 से अब तक लगभग 142.62 करोड़ रुपये व्यय कर 34 हजार 704 कन्याओं को लाभान्वित कर चुका है।

यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को सीधे प्रोत्साहन राशि से जोड़ती है। सरकार की मंशा है कि 'बेटी पढ़ेगी, तभी आगे बढ़ेगी' योजना के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बीपीएल परिवारों को विवाह पर 31 हजार रुपये की आर्थिक

- **इस योजना में वर्ष 2023-24 से अब तक करीब 142.62 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है सरकार**

सहायता दी जाती है। इसी तरह शेष सभी बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित कन्याओं और महिला खिलाड़ियों को 21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही नहीं विभाग द्वारा बेटियों को शिक्षा के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी देय है। यदि बेटी 10वीं पास है, तो 10 हजार रुपये और यदि स्नातक है, तो 20 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को यह लाभ देय है।

बेडशीट गोदाम में भीषण आग

जयपुर। संजय सर्किल थाना इलाके में गुरुवार देर रात एक बेडशीट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि धुएं के गुबार और लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं। जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को मौके तक पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं मिलने के कारण आग बुझाने के लिए दूसरी इमारत पर चढ़कर कार्रवाई करनी पड़ी। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

भारत की विकास अवधारणा आत्मकेंद्रित नहीं, बल्कि समाज केंद्रित रही : डॉ. कृष्ण गोपाल

उन्होंने वर्तमान विकास मॉडल पर चिंता जताते हुए कहा कि ''गरीबी देश के लिए गंभीर और चिंता जनक है, आर्थिक प्रगति के बावजूद समाज का बड़ा वर्ग सीमित आय और संसाधनों में जीवन यापन कर रहा है।''

जयपुर (कासं)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है। वास्तविक विकास वही है, जिसमें मनुष्य, समाज, परिवार और प्रकृति का संतुलित उत्थान हो। भारत की विकास अवधारणा आत्मकेंद्रित नहीं, बल्कि समाज केंद्रित रही है और आज के वैश्विक परिदृश्य में यही दृष्टि सबसे अधिक प्रासंगिक है। डॉ. कृष्ण गोपाल शुक्रवार को पाथेय कण संस्थान में आयोजित पूज्य रज्जु भैया स्मृति व्याख्यानमाला में 'स्व' का बोध और विकास की अवधारणा विषय पर संबोधित कर रहे थे।

डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही वैभव सम्पन्न रहा है लेकिन उस वैभव का आधार केवल धन नहीं था। यह धारणा गलत है कि भारत हमेशा से गरीब रहा है; वास्तविकता यह है कि भारत ने लंबे समय तक वैश्विक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में अग्रणी भूमिका निभाई।

उन्होंने वर्तमान विकास मॉडल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गरीबी आज भी देश के लिए एक गंभीर और चिंता जनक समस्या बनी हुई है। आर्थिक प्रगति के बावजूद समाज का बड़ा वर्ग सीमित आय और संसाधनों में जीवन यापन कर रहा है। विकास का लाभ कुछ गिने-चुने शहरों और क्षेत्रों तक सीमित होना गंभीर असंतुलन की ओर संकेत करता है।

डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि केंद्रीकृत विकास मॉडल भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना होना चाहिए, जहां शिक्षा, संस्कार, रोजगार और जीवन मूल्य समान रूप से

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने शुक्रवार को पाथेय कण संस्थान में आयोजित व्याख्यानमाला में पुस्तक ''भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन'' का विमोचन किया।

विकसित हों। उन्होंने कहा कि विकेंद्रीकृत, समाज केंद्रित और मूल्य आधारित विकास ही भारत और विश्व के लिए स्थायी समाधान प्रस्तुत कर सकता है।

कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति में नारी की स्वतंत्रता, कर्तव्य, सृजनशीलता और उसकी आध्यात्मिक चेतना को रेखांकित करने वाली पुस्तक भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन का विमोचन भी हुआ। पुस्तक में वैदिक, उपनिषदिक, रामायण-महाभारत, बौद्ध, जैन, संत तथा आधुनिक काल तक फैले नारी चिंतन को समग्र भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ पश्चिमी नारीवाद के टकरावपूर्ण दृष्टिकोण के स्थान पर संतुलित, सकारात्मक और सांस्कृतिक नारी दृष्टि को सामने रखता है।

पुस्तक के संपादक बिरेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इक्कीसवीं शताब्दी में नारी विमर्श प्रायः संघर्ष, टकराव और प्रतिद्वंद्विता के स्वर में प्रस्तुत होता रहा है। इसके विपरीत यह ग्रंथ यह स्पष्ट करता है कि भारतीय दृष्टि में नारी और पुरुष विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक शक्ति और शिव की भाँति है। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि समाज सेवी उमेश सोनी,पाथेय कण के संपादक प्रो. रामस्वरूप अग्रवाल, अध्यक्ष प्रो. नंदकिशोर पाण्डेय, कोषाध्यक्ष रोहित प्रधान ने भी संबोधित किया।

राज्यपाल को लोकायुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे को शुक्रवार को यहां लोकायुक्त राजस्थान का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा ने लोकभवन में बागडे से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने 37वां वार्षिक प्रतिवेदन (एक जनवरी से 31 दिसंबर 2025) प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बागडे से लोहरा ने लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की। उन्होंने लोकायुक्त के स्तर पर लोक सेवकों की जनता के प्रति जवाबदेही से संबंधित किये गये कार्यों के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया।

एल.आई.सी. ने कालातीत बीमा पॉलिसियां पुनः चालू करवाने का मौका दिया

जयपुर (कासं)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने कालातीत हो चुकी बीमा पॉलिसियों को पुनः चालू करने का अवसर ग्राहकों को दिया है। साथ ही विलंब शुल्क में भी 30 से 100 प्रतिशत तक की रियायत दी है।

एल.आई.सी. की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि, 1 जनवरी से 2 मार्च तक व्यक्तिगत कालातीत (लेप्स) पॉलिसी के लिए एक विशेष पुनर्चलन अभियान शुरू किया है। सभी नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर विलंब शुल्क में छूट दी गई है, जो कि 30 प्रतिशत है। परंतु अधिकतम 5000 रुपये की ही रियायत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक, 1 लाख रुपये तक के देय प्रीमियम पर 30 प्रतिशत छूट (अधिकतम 3000) रुपये दी जाएगी। इसी प्रकार 1 से 3 लाख रुपये तक भी 30 फीसदी की छूट मिलेगी, परंतु अधिकतम छूट की राशि 4 हजार रुपये होगी।

इसी तरह 3 लाख से ज्यादा की देय प्रीमियम पर भी 30 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, परंतु अधिकतम छूट की राशि 5 हजार रुपये ही रहेगी। इसके अलावा माइक्रो इंश्योरेंस प्लान पर 100 प्रतिशत विलंब शुल्क माफ होगा।

भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आज

जयपुर। नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सामने पंचायतराज और निकाय चुनाव एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं। इन्हीं चुनावों की रणनीति तय करने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से 3 जनवरी को जयपुर में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला राजधानी स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में होगी, जिसमें पूरे साल का संगठनात्मक और चुनावी रोडमैप तैयार किया जाएगा।

कार्यशाला को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मार्गदर्शन करेंगे। कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधायक और सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा शाम को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी आयोजित की जाएगी। संगठन में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है और उनके निर्देशों को केंद्रीय नेतृत्व की दिशा के रूप में देखा जाता है। इस कार्यशाला में अलग-अलग सत्र आयोजित होंगे। कुछ सत्रों में बीएल संतोष प्रदेश पदाधिकारियों से अलग से संवाद कर सकते हैं, खासकर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की नई टीम के साथ। । यह कार्यशाला बीजेपी के लिए आने वाले चुनावी वर्ष की दिशा मानी जा रही है।

एलिवेटेड रोड और आरओबी के नीचे सिग्नल फ्री ट्रैफिक किया जाए : सिद्धार्थ महाजन

जेडीसी ने इंजीनियर्स को कम व्यस्तम चौराहों-तिराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स के स्थान पर रोटरी निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए

जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने शुक्रवार को अभियांत्रिकी शाखा की बैठक ली।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने शुक्रवार को इंजीनियरिंग शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर शहर में चल रहे तमाम निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राजधानी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने और आर.ओ.बी. के नीचे सिग्नल फ्री ट्रैफिक करने पर विशेष जोर दिया।

आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अभियांत्रिकी निदेशक देवेन्द्र गुप्ता और अन्य इंजीनियर्स से तमाम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करते हुए अब तक किए गए कार्यों और शेष बचे हुए कामों पर चर्चा की। उन्होंने सीबीआई फाटक आरओबी, सालीग्रामपुरा आरओबी, त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड, सिविल लाइन्स आरओबी और सांगानेर एलिवेटेड रोड सहित अन्य निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बिंदुवार जानकारी ली। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स में आ रही विभिन्न समस्याओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए निस्तारण के निर्देश भी दिए।

जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि, एलिवेटेड रोड और आरओबी के ऊपर तो आमजन को निर्बाध यातायात मिल रहा है, 70-80 प्रतिशत ट्रैफिक भी ऊपर से ही गुजर रहा है। परन्तु इनके नीचे कम ट्रैफिक होने के बावजूद भी विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल है, इस कारण यातायात में अनावश्यक रूकावट उत्पन्न हो रही है। जेडीसी ने इस समस्या को देखते हुए सभी एलिवेटेड रोड व आरओबी के नीचे गुजर रहे यातायात के सुचारू एवं निरंतर संचालन के लिए कम व्यस्तम चौराहों-तिराहों पर ट्रैफिक सिग्नलस के स्थान पर रोटरी निर्माण के लिए फिजीबिलेटी देखते हुए कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भविष्य में यातायात दबाव बढ़ने अथवा आवश्यकता होने पर रोटरी को हटाया भी जा सकेगा, जिससे यह व्यवस्था लचीली बनी रहेगी।

नाम परिवर्तन

मैंनें अपना नाम अब्दुल रईस खान से बदलकर अब्दुल रईस (ABDUL RAIS) पुत्र मोहम्मद इस्माईल निवास 2344, नला नीलगरान, काँवटियों का खुर्रा, रामगंज बाजार जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे ABDUL RAIS के नाम से जाना पहचाना जावें।

मैंने अपना नाम प्रजापति मोनू श्री सुबेसिंह से बदलकर प्रजापति मोनू पुत्र सुबे सिंह कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना और पहचाना जाए। निवासीः तासींग अलवर, राजस्थान-301701

I, JC-270813X Ex Sub (Hony Capt) Gordhan Ram, Retd Resident of VPO Antroli Kalan, Teh Degana, District Nagaur (Raj) that I want to change my spouse name from BHANWARY DEVI to BHANWARI DEVI vide affidavit dated 17/12/25 before Tehsildar Degana (Nagaur).

फॉर्म नं. यूआरसी-2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण की सूचना देने वाला विज्ञापन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

1. इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में, जयपुर स्थित रजिस्ट्रार को पंद्रह दिनों के बाद लेकिन इसके बाद तीस दिनों की समाप्ति से पहले एक आवेदन प्रस्तावित किया जाएगा कि **KED VENTURES LLP,** एक एलएलपी, को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयर-सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:- सॉस, जैम, जेली और मुरब्बों का निर्माण, अचार, चटनी आदि का निर्माण, अन्य खाद्य उत्पादों का निर्माण (अन्य आवश्यक वस्तुएं)।
3. प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ़ असोसिएशन की एक प्रति **ई-299, लाल कोठी योजना, टोंक रोड, गांधी नगर, जयपुर- 302015, राजस्थान, भारत** स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. **इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि** इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **इक्कीस दिनों के भीतर** अपनी आपत्ति लिखित रूप में **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट संख्या 6, 7, 8, सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिन कोड-122050** को भेज सकता है, और इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजें।

दिनांक- 3 जनवरी 2026.

आवेदकों के नाम- 1. मानव केडिया 2. रेणुका केडिया 3. अल्पना केडिया

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 22/25
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम राजकुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार छैला जाति ब्राह्मण विवाद स्थान प्लाट नं. 78 श्री हित राध बल्लभ नगर, जेडीए कॉलानी के पीछे, मीणा पालडी आगरा रोड लुनियावास, जयपुर (राज.)
मृतक महेन्द्र कुमार छैला की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 07.02.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम महेन्द्र कुमार छैला पुत्र कल्याण सहाक जाति ब्राह्मण निवासी जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 02 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 18 माह 12 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

रीडर
अपर जिला एवं सैंशन न्याधीश
संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर
मोहर अदालत

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत समक्ष किराया अधिकरण मुकाम क्रम 2 जयपुर महानगर (प्रथम) जयपुर
रामनोहर बनाम आशा जैन वगै.
दावा बाबत - किराया अर्जी
मुकदमा नं. ...सन् ....

बनाम-
मुसम्मी- 1. श्रीमती सीमा पुत्री स्व रोशन लाल, 2. श्रीमति रेखा पुत्री स्व. रोशन लाल, 3. श्रीमति शोभा पुत्री स्व. रोशन लाल निवासी प्लाट नं. 570 गोलेछा भवन बीस दुकान आदर्श नगर जयपुर (राज.) कोम जैन साकिन...परगना जाति जैन
चूंकि अर्जीदार ने इस अदालत मे तारीख ...माह...सन् 20... को 1. रामनोहर बनाम 2. श्रीमति आशा जैन
दायर की जो कि बाद में फोत हो गया ओर चूंकि...मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी...मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. ... बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1. ... आपको तारीख 13 माह 01 सन् 2026 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 12 सन् 2025 को जारी किा गया।
मोहर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2 किराया अधिकरण, जयपुर महानगर (प्रथम)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1063
चूंकि प्रार्थी श्री J5A JHALANA INSTITUTIONAL AREAJAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास PRAYAS VOCATIONAL INSTITUTE FOR MENTALLY HANDICAPPED,J5A JHALANA INSTITUTIONAL AREAJAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 109/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री हरीश कुमार शर्मा ने पंजीकृत प्रन्यास पुनरेदय फाउण्डेशन संस्था डी-704यूडीबी आर्चिड पिंक पर्ल वाटर पार्क के पास, अजमेर रोड जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 104 जपुर 2025 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के संरक्षक श्री राहुल राठौड़ एवं सदस्य श्री कुशाल सिंह द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा श्री मनोहर लाल शर्मा व सत्यनारायण को नवीन प्रन्यासी नियुक्त कर उनके प्रन्यास रिकार्ड में जोडने तथा विधान में संशोधन कर संशाधित विधान व अन्य परिवर्तनों को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 05.02.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त आदर्श नगर जोन, नगर निगम, जयपुर
(जवाहर नगर सेक्टर नं. 4, एम.पी.एस. स्कूल के पास, जयपुर)
क्रमांक-F54/A.N.Z./Dy Comm./सामान्य शाखा/2025/855
दिनांक-01.01.2026
सार्वजनिक सूचना (शुद्धि पत्र)
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक सूचना पत्र क्रमांक 839 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा जारी विज्ञप्ति में शुद्धिकरण करते हुए श्री मुर्तजा तबरेज पुत्र श्री नजर मोहम्मद भूखण्ड संख्या 288, आनन्दपुरी फतेह टीबा जयपुर के स्थान पर श्री मुर्तजा तबरेज अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद पढ़ा जावें। श्री मुर्तजा तबरेज अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद द्वारा रजिस्टर्ड मुख्तयारनामा आम, निर्धारित वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) आदि अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपने भूखण्ड संख्या 288, आनन्दपुरी फतेह टीबा जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस